उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद (Academic Council) की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 का कार्यवृत्त

उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 को कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष विद्या परिषद के सभापतित्व में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित ने प्रतिभाग किया:–

1. डॉ0 अजय सिंह, कुलपति, यूपीयूएमएस, सैफई।	अध्यक्ष
2. डॉ0 आर0के0 दीक्षित, प्रोफेसर–फार्माकोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
3. डॉ0 एस0पी0 सिंह, प्राचार्य, सेंट जॉन्स कॉलेज, आगरा। (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
4. डॉ0 सूर्यकांत, प्रोफेसर–रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ। (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया)	सदस्य
5. डॉ0 आदेश कुमार, संकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य एवं संयोजक
6. श्रीमती बिजी बिजू, संकायाध्यक्ष–नर्सिंग संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
7. डॉ0 जे0पी0 मथुरिया, संकायाध्यक्ष–पैरामेडिकल विज्ञान संकाय एवं विभागाध्यक्ष, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
8. डॉ0 कमला पाठक, संकायाध्यक्ष–फार्मेसी संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
9. डॉ0 अतुल कुमार सिंह, संकायाध्यक्ष–दन्त विज्ञान संकाय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
10. डा0 रमाकान्त यादव, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, न्यूरोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
11. डॉ0 आलोक दीक्षित, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फार्माकोलाजी एवं संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण) तथा, परीक्षा नियंत्रक, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
12. डॉ0 अमित कांत सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फिजियोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
13. डॉ0 आदिल रहमान, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, बायोकेमिस्ट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
14. डॉ0 पिंकी पाण्डेय, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पैथोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
15. डॉ0 राजेश कुमार वर्मा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
16. डॉ0 पुष्पेन्द्र सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फॉरेन्सिक मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
17. डॉ0 पी0के0 जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्युनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
18. डॉ0 मनोज कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
19. डॉ0 ए0के0 मिश्रा, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, साइकेट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
20. डॉ0 दिनेश कुमार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक्स, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
21. डॉ0 एस0पी0 सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, जनरल सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
22. डॉ0 सुनील कुमार शिवपल्टन, प्रोफसर एवं विभागाध्यक्ष, ऑर्थोपेडिक्स, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
23. डॉ0 रवि रंजन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ऑफ्थलमोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
24. डॉ0 जितेन्द्र प्रताप सिंह चौहार, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ई0एन0टी0, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
25. डॉ0 कल्पना कुमारी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आब्स एण्ड गायनी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
26. डॉ0 ऊषा शुक्ला, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, एनेस्थीसिया, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
27. डॉ0 कैलाश कुमार मित्तल, प्रोफेसर (जू0ग्रेड) एवं विभागाध्यक्ष, रेडिएशन ऑकोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
28. डॉ0 अतुल सक्सेना, असि0 प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
29. डॉ0 सुभाष चन्द्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
30. डॉ0 राजेश कुमार ठाकुर, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पेरियोडोंटोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
31. डा0 विनय कनौजिया, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पी0एम0आर0, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
32. डा0 राफे अब्दुल रहमान, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, पीडियाट्रिक सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
33. डा0 अंकित सचान, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, यूरोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
34. डा0 आदित्य शिवहरे, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
35. डा0 वरूण सिसोदिया, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, सी0सी0टी0एस0, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
36. डा0 अमित सिंह, प्रोफेसर, माईकोबायोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
37. डा0 सविता अग्रवाल, प्रोफेसर एवं इन्चार्ज रिसर्च सेल, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य

Scanned with OKEN Scanner

38. डा0 सन्दीप कुमार, प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
39. डा0 चन्द्रवीर सिंह, प्रोफेसर, फार्माकोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
40. डॉ0 आशा पाठक, आशा पाठक, प्रोफेसर, फार्माकोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
41. डा0 सुशील कुमार शुक्ला, प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
42. डा0 विद्या रानी प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
43. डा0 नरेश पाल सिंह, प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
44. डॉ0 रजनी सिंह, प्रोफेसर, एनाटॉमी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
45. डा0 वैभव कान्ती, प्रोफेसर जू0ग्रे0, आब्स एण्ड गायनी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
46. डा0 अनिल कुमार, प्रोफेसर, जनरल सर्जरी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
47. डा0 विजय कुमार वर्मा, प्रोफेसर, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
48. डा0 ज्योति कला भारती, असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ट्रान्सफ्यूजन मेडिसन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
49. डॉ0 गौरी शंकर पोट्टुरी, एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, फिजियोथेरेपी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
50. डा0 रागिनी कुमारी, विभागाध्यक्ष आप्टोमेट्री, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
51. सुश्री ममता वर्मा, असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, आर0आई0टी0, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
52. डॉ0 अनामिका सिंह, प्रोफेसर जू0ग्रे0, फिजियोलॉजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
53. डा0 विपिन कुमार यादव, प्रोफेसर जू0ग्रे0, पेरियोडोन्टोलाजी, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
54. डॉ0 ग्रन्थ कुमार, प्रोफेसर, जू0ग्रे0, जनरल मेडिसिन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
55. डा0 सैम्बियन एन0, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकेल्टी आफ नर्सिंग, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
56. डॉ0 सुगन्धी शर्मा, असस्टिेन्ट प्रोफेसर, इन्चार्ज केन्द्रीय पुस्तकालय, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य
57. श्री विनोद कुमार पटेल, लाईब्रेरियन, यूपीयूएमएस, सैफई।	सदस्य

इस प्रकार विश्वविद्यालय की विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025 में कुल 57 सदस्य उपस्थित रहे (उपस्थिति पत्रक संलग्न)। गणपूर्ति होने पर सर्वप्रथम कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा/अध्यक्ष–विद्या परिषद द्वारा विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त संयोजक–विद्या परिषद/संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय एवं सम्बन्धित संकायाध्यक्ष, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा अध्यक्ष–विद्या परिषद की अनुमति से विद्या परिषद के समक्ष बिन्दुवार एजेण्डा प्रस्तुत किये गये।

बैठक में एजेण्डावार प्रस्तावों पर विचार–विमर्श उपरान्त निम्नांकित निर्णय लिया गया:–

7–(1)	**विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि।** **प्रस्ताव** – उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना चाहें।

निर्णय:– विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में विद्या परिषद के सदस्यों से विचार विमर्श किया गया तथा डा0 सन्दीप कुमार, प्रोफेसर, कम्यूनिटी मेडिसिन द्वारा प्रस्ताव का समर्थन किया गया था डा0 पी0के0 जैन, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, कम्यूनिटी मेडिसिन द्वारा अनुमोदन हेतु सहमति व्यक्त की गयी। इस प्रकार विद्या परिषद द्वार छठी बैठक के कार्यावृत्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(2)	**विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** **प्रस्ताव** – विद्या परिषद उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा की विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत होना चाहें।

निर्णय:– विद्या परिषद की छठी बैठक दिनांक 08.11.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई तथा एजेण्डा की अनुपालन आख्या के विषय में निम्नलिखित निर्देश दिये गये–

- एजेण्ड बिन्दु 6–(3.1)– जोकि रेडिएशन आंकोलाजी विभाग में मेडिकल फिजिक्स रेजिडेन्ट (एम.पी. आर.) रखे जाने से सम्बन्धित था, के विषय में विभागाध्यक्ष रेजिडएशन आंकोलाजी विभाग द्वारा दिये गये सुझावों से सम्बन्धित विस्तृत चर्चा के पश्चात एजेण्डा को विद्या परिषद द्वारा drop किये जाने का निर्णय लिया गया।
- एजेण्ड बिन्दु 6–(3.2), 6–(3.3) से सम्बन्धित अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।
- एजेण्ड बिन्दु 6–(3.4)– जोकि पी0डी0सी0सी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने से सम्बन्धित था, के विषय में यह पाया गया कि यह एजेण्डा एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप नहीं था। इसलिए इसे स्थगित किये जाने का निर्णय विद्या परिषद द्वारा लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

- एजेण्ड बिन्दु 6–(4.1), 6–(4.2), 6–(4.3), 6–(4.4), 6–(4.5), 6–(4.6), 6–(4.7), 6–(4.8), 6–(5.1), 6–(5.2), 6–(5.3), 6–(5.4), 6–(5.5), 6–(6.1), 6–(6.2), 6–(6.3), 6–(6.4), 6–(6.5), 6–(7.1), 6–(7.2), 6–(7.3), 6–(7.4), एवं 6–(7.5)– से सम्बन्धित अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।
- एजेण्ड बिन्दु 6–(7.6)– जोकि मेन्टर मेन्टी प्रोग्राम से सम्बन्धित था, के विषय में विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि मेन्टर मेन्टी प्रोग्राम को विधिवत रूप से लागू किया जाये। सभी संकायाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि वास्तव में यह प्रोग्राम सही से चल रहा है। इस सम्बन्ध में नियमित बैठक सम्पन्न होंगी एवं बैठक/कार्यावाही का डाटा कलेक्ट किया जायेगा तथा डाटा का एनालिसिस डीन के स्तर से किया जायेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि मेन्टर मेन्टी प्रोग्राम विधिवत रूप से संचालित हो रहा है।
- एजेण्ड बिन्दु 6–(7.7) से सम्बन्धित अनुपालन आख्या से विद्या परिषद अवगत हुई।
- एजेण्ड बिन्दु 6–(8) जोकि विश्वविद्यालय में रिसर्च से सम्बन्धित था, के विषय में विद्या परिषद द्वारा निर्देश दिये गये कि यह एजेण्डा नियमानुकूल नहीं है। इसलिए विद्या परिषद इस एजेण्डा को drop किये जाने का निर्णय लिया गया।
- मा0 कुलपति महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि भविष्य में अनुपालन आख्या के विषय में जिन बिन्दुओं में विवरण के उल्लेख की आवश्यकता हो, को छोड़कर अन्य में अनुपालन हुआ अथवा नहीं का ही उल्लेख किया जाये, जिससे समय की बचत हो सके।

एजेण्डा बिन्दु	चिकित्सा संकाय
7–(3.1)	**विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष करायी जाने वाली CME में से अधिकतम दो CME कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के स्तर से वित्तीय सहयोग स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावना:**– विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष करायी जाने वाले CME हेतु विश्वविद्यालय स्तर से वित्तीय सहायोग प्रदान किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। संकाय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर, स्टेट स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर की CME करायी जाती हैं। **पृष्ठभूमि:–** विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा प्रतिवर्ष अधिकतम दो CME कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के स्तर से वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाना है, जिसे प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संकाय सदस्य के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा कि CME हेतु कोई Sponsorship एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी सम्मिलित नहीं है। **प्रस्ताव:–** विश्वविद्यालय स्तर की CME कराने हेतु अधिकतम रू.5000/– तथा स्टेट स्तर की CME कराने हेतु अधिकतम धनराशि रू.20000/– एवं राष्ट्रीय स्तर की CME कराने हेतु अधिकतम राशि रू.50000/– तक विश्वविद्यालय की ओर से वित्तीय सहयोग प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु संकाय सदस्यों को CME में कोई Sponsorship एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन:** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णय:– विद्या परिषद द्वारा यह निर्देश दिये गये कि यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय के समस्त संकाय सदस्यों पर लागू होगा। विद्या परिषद द्वारा इस शर्त के साथ उक्त प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया कि CME में कोई Sponsorship एवं आउटसोर्सिंग एजेन्सी सम्मिलित न होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित संकाय सदस्य को उपलब्ध कराना होगा।

7–(3.2)	**विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा संकाय सदस्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (विदेश) में प्रतिभाग करने हेतु एम्स, नई दिल्ली की दरों पर दैनिक भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में** **प्रस्तावना:**– अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेन्स (विदेश) में प्रतिभाग करने के संबंध में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं0 No. Q/FD/695/03/2000 दिनांक 25.09.2023 एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 No.F.9-411/ 2018(D.A./P/F)-Estt.I, दिनांक 22.12.2023 में विभिन्न देशों में प्रतिभाग करने के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा संकाय सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (विदेश) में प्रतिभाग करने हेतु एम्स नई दिल्ली के दरों पर दैनिक भत्ता को अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव है। **पृष्ठभूमि:**– अंतर्राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स में प्रतिभाग करने के संबंध में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा जारी आदेश सं0 No. Q/FD/695/03/2000 दिनांक 25.09.2023 एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 No.F.9-411/ 2018(D.A./P/F)-Estt.I, दिनांक 22.12.2023 में विभिन्न देशों में प्रतिभाग करने के संबंध में संलग्नानुसार दैनिक भत्ता निर्धारित किया गया है।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः– विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 17.05.2016 की धारा 48 में व्यवस्थ है कि " विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैरशैक्षणिक कर्मचारिवृंद) की सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्ते आदि की सुविधायें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होगी।"

प्रस्ताव का आधारः– उक्त को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय में भी उपरोक्तानुसार निर्धारित दैनिक भत्ता को लागू किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव :– अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कॉन्फ्रेन्स (विदेश) में प्रतिभाग करने के संबंध में भारत सरकार, विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आदेश सं0 No. Q/FD/695/03/2000 दिनांक 25-09-2023 एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं0 No.F.9-411/ 2018(D.A./P/F)-Estt.I, दिनांक 22.12.2023 में विभिन्न देशों में प्रतिभाग करने के क्रम में विश्वविद्यालय में कार्यरत चिकित्सा संकाय सदस्यों को अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस (विदेश) में प्रतिभाग करने हेतु एम्स नई दिल्ली के दरों पर दैनिक भत्ता को अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्त को मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के उपरान्त ही लागू किया जायेगा तथा उक्त के विषय में समय–समय पर होने वाले संशोधन भी प्रभावी होते रहेंगे।

7–(3.3) **चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत संचालित यू0जी0, पी0जी0 एवं सुपरस्पेशियालिटी पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को सम्पन्न कराये जाने हेतु External/ Internal परीक्षकों के पैनल का अनुमोदन।**

प्रस्तावनाः चिकित्सा संकाय के यू0जी0, पी0जी0 एवं सुपर स्पेशियालिटी पाठ्यक्रमों हेतु External Examiners/ Internal Examiners की विभागवार सूची एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप तैयार कर अनुमोदन हेतु विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है।

पृष्ठभूमिः उक्त हेतु कतिपय परीक्षकों के परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु मना करने या कुछ परीक्षक का स्थानान्तरण होने के कारण परीक्षा सम्पन्न कराने को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से अनुमोदित पैनल में बदलाव की आवश्यकता को लेकर परीक्षकों का नवीन पैनल विभागाध्यक्षों के स्तर से एन0एम0सी0 की गाईडलाइन्स के अनुसार तैयार किया गया है।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः– चिकित्सा संकाय के निम्नलिखित विभागों द्वारा बोर्ड आफ स्टडीज की बैठक कराते हुए एम0बी0बी0एस0, एम0डी0/एम0एस0 एवं एम0सी0एच0 पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं हेतु परीक्षकों का पैनल उपलब्ध कराया गया है–

1. Anatomy
2. Physiology
3. Biochemistry
4. Pathology
5. Pharmacology
6. Microbiology
7. Forensic Medicine
8. Community Medicine
9. E.N.T.
10. Ophthalmology
11. General Medicine
12. General Surgery
13. Paediatrics
14. Obst & Gynaecology
15. Orthopaedics
16. Anaesthesiology
17. Respiratory Medicine
18. Neuro Surgery

प्रस्ताव का आधारः विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड आफ स्टडीज की संस्तुतियों को विद्या परिषद में अनुमोदन किए जाने की व्यवस्था निहित है।

प्रस्तावः यू0जी0, पी0जी0 एवं सुपर स्पेशियालिटी पाठ्यक्रमों हेतु External Examiners/ Internal Examiners के परीक्षकों के पैनल में प्राईवेट कालेज के बाह्य परीक्षकों को परीक्षा हेतु आमंत्रित नहीं किया जायेगा। किसी एक सरकारी कालेज से अधिकतम दो बाह्य परीक्षक ही परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। पी0जी0 परीक्षाओं हेतु प्रदेश से बाहर के कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के बाह्य परीक्षकों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः– यू0जी0, पी0जी0 एवं सुपर स्पेशियालिटी पाठ्यक्रमों हेतु External Examiners/ Internal Examiners के परीक्षकों के पैनल को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देश दिये गये कि प्राईवेट कालेज के बाह्य परीक्षकों को परीक्षा हेतु प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। किसी एक सरकारी कालेज से अधिकतम एक तथा उच्च सरकारी संस्थानो से दो बाह्य परीक्षक ही परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जायेंगे। पी0जी0 परीक्षाओं हेतु प्रदेश से बाहर के कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के बाह्य परीक्षकों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। विद्या परिषद द्वारा इस निर्देश के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि उक्तानुसार परीक्षकों के पैनल को यदि आवश्यकता हो, तो अपडेट करते हुए लागू किया जाये।

7–(3.4) **To Establish Molecular Lab in Transfusion Medicine Department of UPUMS for blood safety**

Preface:- The Department of Transfusion Medicine proposes to establish a **state-of-the-art Molecular Laboratory** for PCR-based testing to ensure **safe and timely blood availability**. The facility will function at **BSL-3 with subclass BSL-7 standards**, with infrastructure designed for biosafety, academic training, and advanced molecular test services.

Background:- At present, PCR-based testing for transfusion-transmissible infections (TTIs) is outsourced, leading to:

- **2–4 days reporting delay**.
- **Platelet expiry** before release due to delayed reports.
- **Dependence on external laboratories**, restricting autonomy and training opportunities.

In-house molecular testing is necessary to reduce delays, wastage, and improve patient care.

Overview:- The proposed molecular lab will include:

- **Complete infrastructure upgradation**: reconstruction and joining of walls, epoxy flooring, HVAC with HEPA filtration, BSL-3 with subclass BSL-7 modifications, and civil works for sealed molecular testing zones.
- Segregated areas for **extraction, amplification, and detection.**
- Operation under **Department of Biotechnology (DBT) approval** and compliance with transfusion safety regulations.

Initial PCR markers (5):

1. HIV
2. HBV
3. HCV
4. Malaria
5. Syphilis

Future expansion:

- **Thalassemia gene mutation analysis** for genotypic diagnosis and carrier detection.
- **Drug efficacy studies** in thalassemia for precision therapy.
- **Other clinical indications** to be added progressively as per laboratory standardization and validation protocols.

Expected workload:

- Approximately **50,000 PCR tests in the first year.**

Guidelines:-

National Guidlines:

- *National Blood Policy (NACO, Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)* – mandates use of advanced technology to improve **blood safety and availability**.
- *CDSCO / DGHS Guidelines for Blood Banks & Transfusion Services* – emphasizes **molecular methods for screening TTIs** to minimize residual risk of infection.
- *ICMR Guidelines for Biosafety in Biomedical & Health Laboratories (2020)* – outlines **biosafety practices for PCR labs handling human infectious material.**
- *DBT Guidelines on Biosafety & Containment (2017)* – specifically details **BSL-3 standards with HEPA and HVAC requirements** for high-risk labs.

International Guidelines:

- *WHO Guidelines on Blood Transfusion Safety (2016 update)* – recommends **molecular assays (PCR) for enhanced blood screening**, especially in high-prevalence regions.
- *AABB Standards for Blood Banks and Transfusion Services* – recognizes PCR-based screening as **best practice for transfusion-transmitted infection prevention.**
- *EDQM Guide to the Preparation, Use and Quality Assurance of Blood Components* – stresses **validated molecular assays** to ensure **uniform blood safety in Europe**, applicable as international benchmark.

Biosafety & Laboratory Standards:

- *BMBL, 6th Edition (CDC/NIH, USA)* – defines **containment levels and biosafety practices** for labs using nucleic acid amplification technologies.
- *WHO Laboratory Biosafety Manual, 4th Edition (2020)* – promotes **risk-based approach for PCR laboratories** and highlights **HVAC and HEPA-controlled environments** for BSL-3/BSL-4 level facilities.

Scanned with OKEN Scanner

Aim:

To establish a state-of-the-art Molecular Laboratory for PCR-based testing of transfusion-transmissible infections and genetic disorders, ensuring safe blood availability, timely reporting, and advanced academic research.

Scope:

- Initial PCR Testing for 5 markers: HIV, HBV, HCV, Malaria, Syphilis.
- Future Expansion: Thalassemia gene mutation analysis, drug efficacy monitoring in thalassemia, and additional clinical indications as per laboratory standardization.
- Expected Workload (Year 1): ~50,000 tests.
- Biosafety Standards: BSL-3 laboratory with subclass BSL-7 modifications, HVAC with HEPA filtration, sealed molecular testing zones.

Benefits:

- Same-day PCR results (6–10 hours) – preventing platelet and blood component wastage.
- Improved blood safety and transfusion efficiency.
- In-house molecular diagnostics reducing dependence on external labs.
- Academic integration: postgraduate training, research, and skill development.

Budget Estimage

Component	Details	Estimated Cost (INR)
Infrastructure Development	Complete reconstruction & joining of walls, epoxy flooring, HVAC system, HEPA filtration, BSL-3 with subclass BSL-7 modifications, sealed molecular zones, civil works	₹2.0+ Crores
PCR Equipment & Platforms	Real-time PCR systems, nucleic acid extraction platforms, amplification/detection units	₹1.2 Crores
Biosafety & Ancillary Equipment	Biosafety cabinets, centrifuges, refrigerators, freezers, UPS/power backup systems	₹0.5 Crore
Consumables & Reagents (1st Year)	PCR kits, extraction reagents, detection probes, disposables for ~50,000 tests	₹0.5 Crore
Training & Manpower Development	Skill training, validation studies, manpower hiring and capacity building	₹0.4 Crore

Decision Required:- The Academic Council may like to approve the proposal for establishing a **Molecular Laboratory for PCR-based transfusion safety testing and genetic analysis** under the Department of Transfusion Medicine.

Expected Approval on the Proposal:- The Academic Council may like to approve the above proposal.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा निर्देशित किया गया कि उक्त कार्य माईक्रोबायोलाजी विभाग में किया जायेगा तथा उक्त कार्य का माईक्रोबायोलाजी एवं ट्रान्सफ्यूजन मेडिसिन विभाग द्वारा संयुक्त रूप पर्यवेक्षण किया जायेगा।

7–(3.5) **Proposal for Starting Fellow of National Board (FNB) in Arthroplasty in the Department of Orthopaedics and Starting Fellow of National Board (FNB) in other departments**

Introduction:- The Department of Orthopaedics, UPUMS Saifai, has developed into a tertiary-level referral centre with high surgical load and experienced faculty. In line with the mission of the University to promote advanced training, academic excellence, and high-quality patient care, it is proposed to initiate an **FNB course in Arthroplasty** under the aegis of the National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS).

Background:-

- Arthroplasty is one of the fastest-growing subspecialties in Orthopaedics.
- UPUMS currently performs over **150 major arthroplasty procedures annually** (hip, knee, revision, etc.).
- The Department has **dedicated modular OTs, laminar airflow systems, state-of-the-art implants, and rehabilitation facilities**.
- The faculty comprises senior professors with extensive experience in primary and revision arthroplasty.
- With this background, the department is well poised to start an **FNB course** to train post-doctoral fellows in this subspecialty.

Rules and Regulations:-

- The course shall be governed by **NBEMS rules and guidelines** for FNB programs.
- **Eligibility:** MS/DNB (Orthopaedics).
- **Selection:** Through NBEMS centralized merit-based counseling after qualifying the

Scanned with OKEN Scanner

FNB entrance examination.

- **Course Duration:** 2 years.
- **Examination:** As per NBEMS FNB exit examination guidelines.
- **Number of Seats Requested:** 2 per year.

Basis of Proposal:-

- Adequate **infrastructure**: Dedicated theatres, wards, ICUs, physiotherapy units.
- Adequate **faculty strength**: 6 Professors, 3 Associate Professors,2 Assistant Professor with national-level recognition.
- Adequate **surgical load**: More than 150 arthroplasty surgeries annually.
- Strong **academic culture**: Journal clubs, CMEs, conferences, workshops, indexed publications.
- Commitment to advancing **specialist training in rural India** and contributing to national capacity building.

Proposal:- It is proposed that:

- The Department of Orthopaedics and other departments of, UPUMS Saifai, may be permitted to apply to NBEMS for recognition of **FNB Arthroplasty Program.**
- The University shall support the department in fulfilling NBEMS requirements including faculty strengthening, infrastructure upgradation and inspection compliance.
- Upgradation of library e-resources and digital learning modules.
- Support for **teaching aids, workshops, cadaveric training, and academic activities.**
- Estimated budget: To be worked out in consultation with Finance Committee once Academic Council approves the initiation of the course.

Expected Approval on Proposal:- The Academic Council may like to approve the above proposal.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा उक्त को अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया जाये, जिसमें सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (जोकि नोडल अधिकारी होंगे) एवं चिकित्सा अधीक्षक होंगे। यह कमेटी प्रस्ताव को परीक्षण कर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी सम्बन्धित विभाग में पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने/सीटों की वृद्धि हेतु आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन एवं आवश्यक उपकरण पूर्ण हैं अथवा नहीं। उक्त के पश्चात डीन कमेटी के माध्यम से मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर पाठ्यक्रम प्रारम्भ/सीटों में वृद्धि की जा सकेगी। जहाँ तक **Fellow of National Board (FNB)** का प्रश्न है, तो विभागाध्यक्ष उक्त के विषय निर्धारित गाईडलाईन्स का अध्ययन करते हुए प्रस्ताव तैयार करेंगे तथा सब–कमेटी एवं डीन कमेटी के माध्यम से मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर कार्य को पूर्ण करेंगे।

7–(3.6) **विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत पी0जी0 (एम0डी0/एम0एस0/डी0एन0बी0) सीटों की वृद्धि हेतु आवेदन किए जाने के संबंध में–**

प्रस्तावनाः विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के विभिन्न विभागों में संचालित पी0जी0 पाठ्यक्रमों में वर्तमान में 112 एम0डी0/एम0एस0, 04 डी0एन0बी0 एवं 01 एम0सी0एच0 सीट स्वीकृत है। इन सीटों में सत्र 2026–27 में वृद्धि किये जाने तथा कतिपय विभागों में नवीन पी0जी0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु एन0एम0सी0 के पोर्टल पर आवेदन किया जाना है।

पृष्ठभूमि एवं कृत कार्यवाहीः पूर्व में उ0प्र0 शासन एवं महानिदेशालय के निर्देशों के अनुसार पी0जी0 सीटों में वृद्धि हेतु Scope for expansion की गणना की गयी थी, जिसे शासन स्तर पर प्रस्तुत भी किया जा चुका है। जिन विभागों में नवीन एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना है। इन विभागों हेतु इसेन्सियालिटी प्रमाण पत्र हेतु महानिदेशालय के माध्यम से उ0प्र0 शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग से अनुरोध भी किया जा चुका है। वृद्धि किये जाने हेतु सीटों का विवरण निम्नवत है।

SL.	SPECIALITY	SANCTION SEATS	SCOPE FOR EXPANSION IN 2026-27
		INCREASE OF SEATS	
1	MD (Anaesthesiology)	11	13
2	MD (Biochemistry)	5	2
3	MD (Community Medicine)	11	11
4	MD (Microbiology)	8	1
5	MD (Paediatrics)	8	6
6	MD (Pathology)	17	5

7	MD (Pharmacology)	3	5
8	MD (Physiology)	5	7
9	MD (Respiratory Medicine)	5	5
10	MS (Anatomy)	13	0
11	MS (ENT)	1	4
12	MS (General Surgery)	11	12
13	MS (Obst. & Gynaecology)	5	5
14	MS (Ophthalmology)	3	4
15	MS (Orthopaedics)	6	14
		NEW SANCTION	
16	MD (General Medicine)	-	6
17	MD (Psychiatry)	-	2
18	MD (Radiation Oncology)	-	3
	Total (MD/MS Seats)	112	105

NEW SANCTION - DNB SEATS			
SL.	**SPECIALITY**	**SANCTION SEATS**	**SCOPE FOR EXPANSION IN 2026-07**
1	DNB (General Medicine)	4	-
2	DNB (Psychiatry)	-	2 (01 post MBBS 3 years, 01 post diploma 2 years)
3	DNB (Forensic Medicine)	-	2 (01 post MBBS 3 years, 01 post diploma 2 years)

उक्त विवरण पूर्व में उपलब्ध संकाय सदस्यों की संख्या के आधार पर तैयार किया गया था। वर्तमान में अन्य संकाय सदस्यों की नियुक्ति भी हो चुकी है। इसलिए एन0एम0सी0 का पोर्टल खुलने से पूर्व एम0एस0आर0–2023 के अनुसार पी0जी0 सीटों में वृद्धि हेतु पुनः सीटों की गणना की जायेगी, जिससे अधिक से अधिक संख्या तक पी0जी0 सीटों में वृद्धि हो सके। इसलिए उक्तानुसार प्रस्तावित पी0जी0 सीटों की संख्या में परिवर्तन सम्भव है।

प्रस्ताव: सत्र 2026–27 में पी0जी0 सीटों मे वृद्धि हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के पोर्टल पर आवेदन किये जाने हेतु विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन: उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि विभागवार सीटों का परीक्षण सब कमेटी से करा लिया जाये। सब कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर कार्यवाही की जाये।

रिसर्च सेल

7–(4.1) **Modification in the SOP of Research Cell of the University**

Preface:- For the better functioning of research cell and to create good research environment in the University, the SOP of Research Cell needs to be modified.

Background:- The Hon'ble Vice-Chancellor sir has given his valuable suggestions to do few changes in the existing SOP of Research Cell for the better functioning of research cell and to create good research environment in the University.

Overview:- The changes suggested by Hon'ble Vice-Chancellor sir are as follows-

- Dissolution of Institutional Research Committee (IRC).
- Redefine the Role of Research Cell (RC).
- Strengthening of Departmental Research Committee (DRC).
- To update the Flow of Thesis Synopsis Approvals.
- To update the Flow of Intramural Non-Funded Research Projects.
- To update the flow and guidelines of Intramural Funded Research Projects.
- To update the Flow of Extramural Funded Projects.
- To update the Overhead Charges for Extramural Research Funding.
- Separate IEC Meetings for UG, PG and Faculty Projects.
- Inclusion of Designation of Co-Faculty In-Charge in the Research Cell.

Guidelines:- The detailed Guidelines are described in the revised SOP of Research Cell, which is enclosed.

Proposal:-

The Academic Council is expected to approve the proposal for the modification in the SOP of Research Cell of the University.

Expected Approval on the Proposal:- The Academic Council may like to approve the above proposal.

Scanned with OKEN Scanner

निर्णयः– एस0ओ0पी0 पर विस्तृत चर्चा के पश्चात विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	

7–(4.2)	**Creation of a Separate Post of Officiating Dean (Research) / Associate Dean (Research) / Sub Dean (Research) in the University**
	Preface:- To strengthen the research ecosystem of the University and ensure focused leadership in planning, coordinating, and promoting research activities, it is proposed to create a dedicated post of Officiating Dean/Associate Dean/Sub Dean (Research).This position will serve as the central academic authority for all matters related to research governance and development.
	Background:- Currently, research-related responsibilities are managed alongside other academic and administrative functions by existing Deans. With the increasing volume and complexity of research activities, including intramural and extramural projects, regulatory compliance, and collaborations, there is a growing need for specialized leadership to oversee research operations. The creation of a separate Officiating Dean/Associate Dean/Sub Dean (Research) will ensure focused attention, improve coordination, and enhance the overall quality and output of research at the University.
	Overview:- The Officiating Dean/Associate Dean/Sub Dean (Research) will:
	• Oversee and guide all research activities within the University.
	• Provide strategic direction for strengthening research programs and policies.
	• Ensure compliance with ethical, financial, and regulatory standards for research projects.
	• Act as a liaison with funding agencies, collaborators, and regulatory bodies.
	• Coordinate with the Research Cell (RC), Departmental Research Committees (DRCs), and the Institutional Ethics Committee (IEC) for smooth functioning of research processes.
	• Promote a culture of innovation and interdisciplinary collaboration across departments.
	Guidelines:-
	• A separate post of Officiating Dean/Associate Dean/Sub Dean (Research) shall be created within the University's organizational structure.
	• The Officiating Dean/Associate Dean/Sub Dean will:
	  o Be the overall in-charge of the Research Cell and related activities.
	  o Supervise theses, intramural and extramural funded and non-funded projects.
	  o Represent the University in national and international research forums.
	  o Facilitate faculty development programs, workshops, and trainings related to research.
	The detailed structure and other administrative arrangements related to Officiating Dean/Associate Dean/Sub Dean posts will be finalized in accordance with University rules and regulations.
	Proposal: The Academic Council is expected to approve the proposal to create a separate Post of Officiating Dean/Associate Dean/Sub Dean (Research) in the University.
	Expected Approval on the Proposal: The Academic Council may like to approve the above proposal.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि रिसर्च सेल के कार्यों हेतु एक Officiating Dean (Research) एवं एक Associate Dean (Research) का पद होगा। जिसे विद्या परिषद की बैठक के कार्यवृत्त पर मा0 कार्य परिषद के अनुमोदन के पश्चात ही लागू किया जायेगा।	
7–(4.3)	**Mandatory Submission of Publications in Hard Copy Arising From Research Work / Projects/Theses Conducted By University Faculty and Students in the Research Cell.** **Preface:-** To maintain accurate records of research publications and ensure proper documentation of outcomes, it is proposed to establish a formal mechanism for reporting publications arising from research projects/theses undertaken by faculty and students of the University. **Background:-** The Hon'ble Vice-Chancellor emphasized the importance of obtaining information regarding publications linked to research projects/theses conducted by faculty and students of the University. It was directed that such publications must be reported systematically, both to track academic productivity and to ensure proper documentation for institutional and regulatory purposes. **Overview:-** This system will enable: • Proper monitoring and documentation of publications associated with research projects. • Integration of publication reporting with the Manav Sampada – eHRMS for transparency. • Strengthening the University's research database and performance metrics.

Scanned with OKEN Scanner

Guidelines:- Faculty members must report all publications related to their research projects to the research cell-

- Department Heads shall verify and upload publication details to the Manav Sampada – eHRMS
- The Research Cell must be informed simultaneously about these publications for central record-keeping.
- The reporting will include:
    1. Title of the publication,
    2. Journal name and indexing status,
    3. Associated research project title,
    4. Principal Investigator and co-investigators (Authors).

Proposal: The Academic Council is expected to approve the proposal for mandatory reporting of publications arising from research work and projects/theses conducted in the university by faculty to the research cell

Expected Approval on the Proposal: The Academic Council may like to approve the above proposal.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा विभिन्न निर्देशों के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि समस्त विभागाध्यक्ष Publications Arising From Research Work / Projects/Theses Conducted By University Faculty and Students के विषय में निम्नानुसार सुनिश्चित करेंगे कि –

- ए0सी0आर0 के साथ समस्त प्रपत्र संलग्न किये जायें।
- समस्त प्रपत्रों को रिसर्च सेल को अग्रसारित किया जाये।
- विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर उपलब्ध विभाग/संकाय सदस्य के पेज पर रिसर्च से सम्बन्धित समस्त विवरण प्रपत्र/अभिलेख नियमित रूप से अपडेट किये जायें।

7–(4.4) **To obtain approval for the guidelines framed for starting a research showcase with one oration at the University.**

Preface:- Research is the cornerstone of academic excellence and innovation in any university on a global scale. To nurture a robust research culture, there needs to be a dynamic institutional platform where faculty, postgraduate students, research scholars, and undergraduates can present their work, exchange ideas, and receive recognition. With this objective, it is proposed to establish an annual Research Showcase at the University, complemented by a Research Oration delivered by a distinguished scientist or researcher.

Background:- Within India and abroad, universities and research institutions host dedicated academic events to showcase ongoing and completed research. In India, King George's Medical University (KGMU), Lucknow, has been successfully conducting an annual Research Showcase for several years, where researchers present their projects and are recognized with awards. Inspired by such initiatives, our university proposes to organize an *Annual Research Showcase and Oration,* thereby strengthening interdisciplinary collaboration, enhancing the visibility of research, and motivating young minds to pursue quality research.

Overview of the Event:-

- **Title**: Annual Research Showcase and Oration at UPUMS
- **Frequency**: Annually
- **Scope**:
    - Oral and poster presentations on research work done by the Faculties, PG students (Thesis work and other research work), PhD students and Undergraduate students.
    - A prestigious Research Oration delivered by an eminent national/international researcher or scientist.
- **Expected Outcomes**:
    - Enhanced academic visibility of university research.
    - Encouragement of student and faculty participation in quality research.
    - Fostering of innovation, collaboration, and mentorship.
    - Recognition of outstanding contributions through awards.

Proposed Guidelines

1. **Eligibility**
    - Faculty members, postgraduate students, PhD students and undergraduate students of the University.
    - PG/PhD students may present an ongoing or completed thesis or any other original research work conducted by them.

Scanned with OKEN Scanner

Undergraduate students may present ICMR-STS projects or any other original research work undertaken by them.

2. **Submission Process**
   - Abstracts will be invited under defined categories.
   - Screening and selection will be undertaken by the Research Cell
3. **Event Structure**
   - **Inaugural Session**: Welcome followed by an address by the Hon'ble Vice-Chancellor.
   - **Research Showcase**: Oral and poster sessions for Faculty, PGs, PhDs, and UG students.
   - **Research Oration**: Delivered by an invited eminent researcher/scientist.
   - **Valedictory Session**: Distribution of awards and closing remarks.
4. **Evaluation**
   - Each presentation will be assessed by an expert panel using standardized criteria (originality, methodology, relevance, impact, presentation).
5. **Awards & Recognition**

S. No	Category	Detail	Mode of Presentation	Award/Recognition
1	Faculty	Completed/ongoing funded or self-initiated research	Oral/Poster	Certificate of Merit
2	PG Students – Thesis	Clinical – Medical Clinical – Surgical Preclinical Sciences Para-clinical Sciences, Paramedical , Pharmacy & Dental	Oral/Poster	Certificate of Merit
3	PhD Scholars / Research Fellows	Original research/thesis work	Oral/Poster	Certificate of Merit
4	Undergraduate Students	ICMR-STS/Intramural Research Projects	Poster / Short Oral	Certificate of Merit
5	Special Recognition	"Most Innovative Research" / "Best Translational Research"	Oral/Poster	Certificate
6	Oration	Eminent invited researcher/scientist	Keynote Lecture	Felicitation with Memento + Honorarium (as per norms)

6. **Organizing Committee as Nominated by Hon'ble Vice Chancellor**
   - To be constituted annually under the chairmanship of the Dean (Research).
   - Members to include Research Cell co-ordinators, senior faculties from diverse specialties, and student representatives.
7. **Budget and Logistics**
   - Funded from the Research budget of the University.
   - Certificates, and oration honorarium to be drawn from the Research Promotion Fund or equivalent budget head.
   - External sponsorships/collaborations may be permitted as per the University rules.
8. **Sustainability**
   - The Research Showcase and Oration will be institutionalized as an annual flagship event of the University.
   - Guidelines to be reviewed every three years for modifications and upgradation.

Proposal: The Academic Council is requested to approve the guidelines for starting a research showcase with one oration at the University.

Expected Approval on the Proposal: The Academic Council is expected to approve the above proposal.

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा निर्देशित किया गया कि उक्त को रिसर्च सेल द्वारा को–आर्डिनेट किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

	परीक्षा विभाग
7–(5.1)	**विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर विभिन्न पाठ्यक्रमों के कोर्स कोड के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावना:–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर विभिन्न पाठ्यक्रमों के कोर्स कोड मा0 तत्कालीन कुलपति महोदय के समक्ष सम्पन्न बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित संकाय द्वारा तैयार किये गये हैं, जिनको परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति दी गई है, जिसे विद्यापरिषद के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमि:–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर विभिन्न पाठ्यक्रमों का परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है तथा नैक में भी कोर्स कोड की आवश्यकता के दृष्टिगत कोर्स कोड निर्धारित किये गये हैं। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णय:–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कोर्स कोड की परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2024 में संस्तुति की गई है। **प्रस्ताव का आधार:–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के कोर्स कोड को सम्बन्धित संकायाध्यक्षों द्वारा निर्धारित किया गया है तथा परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति दी गई है। इसलिए विद्यापरिषद के स्तर से कार्योत्तर अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव:–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर विभिन्न पाठ्यक्रमों के कोर्स कोड की परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति की गई हैं, जिसे विद्यापरिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन:** उक्त प्रस्ताव पर विद्यापरिषद, कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णय:– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7–(5.2)	**विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अधिकतर विषयों के प्रश्न पत्रो में पार्ट–ए एवं पार्ट–बी हो गया है। इसलिए परीक्षा में समस्त छात्र–छात्राओं को पार्ट–ए एवं पार्ट–बी हेतु अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाओं को देने का प्राविधान किया जा रहा है साथ ही अन्य संकायों में भी, यदि इस तरह के प्रश्न पत्र है तो उनमें भी प्रत्येक पार्ट की अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाएं दिये जाने के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावना:–** विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रम के विषयों में प्रश्न पत्रो में पार्ट–ए एवं पार्ट–बी हो गया है। इसलिए परीक्षा में समस्त छात्र–छात्राओं को पार्ट–ए एवं पार्ट–बी हेतु अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाओं को देने का प्राविधान किया जा रहा है। साथ ही अन्य संकायों में भी यदि इस तरह के प्रश्न पत्र है तो उनमें भी प्रत्येक पार्ट हेतु अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाएं दिये जाने के लिए परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गई हैं, जिसे विद्यापरिषद के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमि:–** विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एन0एम0सी0 के नियमों में परिवर्तन होने के कारण अधिकतर विषयों के प्रश्न पत्रो में पार्ट–ए एवं पार्ट–बी हो गया है। उक्त के अतिरिक्त अन्य संकायों की आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक पार्ट हेतु अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाएं दी जा सकती हैं। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णय:–** विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में विषयों के प्रश्न पत्रो में पार्ट–ए एवं पार्ट–बी हो गया है एवं अन्य संकायों में भी यदि इस तरह के प्रश्न पत्र है तो प्रत्येक पार्ट की अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाएं दिये जाने के लिए परीक्षा समिति की दिनांक 07 नवम्बर, 2024 की बैठक में संस्तुति की गई। **प्रस्ताव:** विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय के अन्तर्गत संचालित एमबीबीएस पाठ्यक्रम में विषयों के प्रश्न पत्रो में पार्ट–ए एवं पार्ट–बी हो गया है। इसलिए परीक्षा में समस्त छात्र–छात्राओं को पार्ट–ए एवं पार्ट–बी की अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाओं को देने का प्राविधान किया जा रहा है। साथ ही अन्य संकायों में भी यदि इस तरह के प्रश्न पत्र हैं, तो उनमें भी प्रत्येक पार्ट की अलग–अलग उत्तरपुस्तिकाएं दिये जाने की सुंस्तुति परीक्षा समिति द्वारा की गई है, जिसे

Scanned with OKEN Scanner

	विद्यापरिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उक्त प्रस्ताव पर विद्यापरिषद, कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7–(5.3)	**विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नात्कोत्तर पाठ्यक्रमों की थिसिस मूल्यांकन के लिए सॉफ्ट (पीडीएफ– पासवर्ड प्रोटेक्टेड) कॉपी के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों की थिसिस मूल्यांकन के लिए सॉफ्ट (पीडीएफ– पासवर्ड प्रोटेक्टेड) कॉपी को बाह्य परीक्षकों को प्रेषित किये जाने हेतु परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति की गई हैं, जिसे विद्यापरिषद के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमिः–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकाय के अन्तर्गत संचालित स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों की थिसिस की हॉर्ड कॉपी आती है, जिससे मूल्यांकन कराने के लिए डाक के माध्यम से प्रेषित करने में असुविधा होती है तथा परीक्षकों के पास पहूंचने एवं मूल्यांकन प्रक्रिया को भी विलंबित करता है। इसलिए प्रस्ताव है कि छात्र–छात्राओं द्वारा थिसिस मूल्यांकन के लिए सॉफ्ट (पीडीएफ– पासवर्ड प्रोटेक्टेड) कॉपी सम्बन्धित संकाय के माध्यम से परीक्षा विभाग को प्राप्त हो जाये। परीक्षकों को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जाये तथा ई–मेल के माध्यम से ही थिसिस रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाये जिससे थिसिस का मूल्यांकन जल्दी हो जायेगा तथा किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकाय के अन्तर्गत संचालित स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों की थिसिस सॉफ्ट (पीडीएफ– पासवर्ड प्रोटेक्टेड) कॉपी को बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकन हेतु परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 07 नवम्बर, 2024 में संस्तुति की गई। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकाय के अन्तर्गत संचालित स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों की थिसिस सॉफ्ट (पीडीएफ– पासवर्ड प्रोटेक्टेड) कॉपी को बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकन के लिए परीक्षा समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की गयी, जिसे विद्यापरिषद से कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उक्त प्रस्ताव पर विद्यापरिषद, कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7–(5.4)	**विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक एवं स्नाकोत्तर परीक्षा सम्बन्धी प्रि एवं पोस्ट कार्य को समर्थ पोर्टल के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः–** विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक एवं स्नाकोत्तर परीक्षा सम्बन्धी प्रि– एवं पोस्ट सम्बन्धित कार्य को समर्थ पार्टल के माध्यम से संचालित करने हेतु मा0 कुलपति महोदय के कार्यालय आदेश संख्या 551/यूपीयूएमएस/2024–25, दिनांक 18 मई, 2024 के माध्यम से निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में कार्य सम्पादित किया जा रहा है। उक्त को विद्यापरिषद के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमिः–** विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक एवं स्नात्कोत्तर परीक्षा सम्बन्धी प्रि– एवं पोस्ट कार्य समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा सम्बन्धी प्रि एवं पोस्ट कार्य समर्थ पार्टल से संचालित किया जा रहा है। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय में संचालित समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा सम्बन्धी प्रि एवं पोस्ट कार्य माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त समर्थ पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उक्त प्रस्ताव पर विद्यापरिषद, कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	

202

Scanned with OKEN Scanner

7–(5.5)	**विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रोग्राम कोड के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रोग्राम कोड मा0 तत्कालीन कुलपति महोदय के समक्ष सम्पन्न बैठकों में दिये गये निर्देशों के अनुसार सम्बन्धित संकाय द्वारा तैयार किये गये हैं, जिनको परीक्षा समिति की संस्तुति के क्रम में मा0 कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जोकि विद्यापरिषद के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमिः–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रोग्राम कोड को डिजी लॉकर एवं नैक की आवश्यकता के दृष्टिगत निर्धारित किया गया है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रोग्राम कोड को मा0 कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित किया गया है। **प्रस्तावः–** विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रोग्राम कोड को विद्यापरिषद कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उक्त प्रस्ताव पर विद्यापरिषद, कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
पैरामेडिकल विज्ञान संकाय	
7–(6.1)	**विश्वविद्यालय में "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने हेतु उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं के संशोधन के संबंध में।** **प्रस्तावनाः–** संकायाध्यक्ष, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय द्वारा अपने पत्र सं0 2565/डीन/एफपीएस/ यूपीयूएमएस/2025–26 दिनांक 18.07.2025 के माध्यम से "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जिसके दृष्टिगत उक्त प्रकरण विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। **पृष्ठभूमिः–** अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन "National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP)" द्वारा पत्र सं0 Z/103/2024-AHS-DOHFW Department, FTS-8309547 दिनांक 01 जुलाई, 2025 को निर्गत परिपत्र के अनुसार "Paramedical" शब्द का प्रयोग समस्त शासकीय पत्राचार, नीतियों, विज्ञापनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संस्थागत नामों, भर्ती अधिसूचनाओं, शैक्षणिक सामग्री एवं समस्त प्रकार के अभिलेखों/पोर्टलों में "Allied and Healthcare" शब्दावली से प्रतिस्थापित किये जाने की अनुशंसा की गयी है। उक्त परिवर्तन National Commission for Allied and Healthcare Professions Act, 2021 के तहत मानकीकरण एवं एकरूपता सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 की धारा 25(1) में ''पैरामेडिकल विज्ञान'' शब्दावली का ही प्रयोग हुआ है। अतः "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने हेतु उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं में संशोधन होना होगा जो शासन स्तर पर ही संभव है। अतः विद्या परिषद के समक्ष उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन "National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP)" द्वारा पत्र सं0 Z/103/2024-AHS-DOHFW Department, FTS-8309547 दिनांक 01 जुलाई, 2025 को निर्गत परिपत्र के अनुसार "Paramedical" शब्द का प्रयोग समस्त शासकीय पत्राचार, नीतियों, विज्ञापनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संस्थागत नामों, भर्ती अधिसूचनाओं, शैक्षणिक सामग्री एवं समस्त प्रकार के अभिलेखों/पोर्टलों में "Allied and Healthcare" शब्दावली से प्रतिस्थापित किये जाने की अनुशंसा की गयी है जिसके दृष्टिगत "Paramedical" शब्द के स्थान

202

Scanned with OKEN Scanner

पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं के संशोधन के संबंध में प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्ताव का आधारः– अवगत कराना है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन "National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP)" द्वारा पत्र सं0 Z/103/2024-AHS-DOHFW Department, FTS-8309547 दिनांक 01 जुलाई, 2025 को निर्गत परिपत्र के क्रम में "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तावः– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन "National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP)" द्वारा पत्र सं0 Z/103/2024-AHS-DOHFW Department, FTS-8309547 दिनांक 01 जुलाई, 2025 को निर्गत परिपत्र के क्रम में "Paramedical" शब्द के स्थान पर "Allied and Healthcare" शब्दावली का प्रयोग किये जाने के संबंध में उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम–2015 की सम्बंधित धाराओं में संशोधन हेतु प्रस्ताव मा0 कार्य परिषद के माध्यम से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किये जाने हेतु विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया कि उक्त को डीन कमेटी के माध्यम से कार्य परिषद में प्रस्तुत किया जाये तभी इस विषय को लागू किया जाये।

7–(6.2) **Implementation of the New Curriculum**

प्रस्तावनाः– स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत National Commission for Allied and Healthcare Professions (NCAHP) द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम (ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी व मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी) को आगामी शैक्षणिक वर्ष से लागू किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी (एम0एल0टी0) से संबंधित ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है, तथापि उसे अभी अंतिम रूप प्रदान किया जाना शेष है।

पृष्ठभूमिः– NCAHP द्वारा Circular No- NCAHP 01/2025 दिनांक 22.08.2025 के माध्यम से उक्त Allied and Healthcare Professional पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक वर्ष 2026–27 से अनिवार्य रूप से लागू किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः– NCAHP द्वारा Circular No- NCAHP 01/2025 दिनांक 22.08.2025 के माध्यम से Allied and Healthcare Professional पाठ्यक्रमों (ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी व मेडिकल रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग टेक्नोलॉजी) को शैक्षणिक वर्ष 2026–27 से अनिवार्य रूप से लागू किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। एमएलटी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, लेकिन अन्तिम रूप दिया जाना शेष है।

प्रस्ताव का आधारः– NCAHP Circular No- NCAHP 01/2025 व दिनांक 24.04.2025 को निर्गत आयोग की अधिसूचना

प्रस्तावः– विश्वविद्यालय में संचालित Allied and Healthcare Professional पाठ्यक्रमों हेतु NCAHP द्वारा स्वीकृत Curriculum को सत्र 2026–27 से लागू किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, यदि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम को भी अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो इसे भी सत्र 2026–27 से लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(6.3) **पैरामेडिकल परास्नातक पाठ्यक्रमों के कैरीओवर विषयों की परीक्षाओं के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावनाः– वर्तमान में पैरामेडिकल संकाय के परास्नातक पाठ्यक्रमों में ODD Semester के कैरीओवर विशयों की परीक्षाएँ आगामी ODD Semester की नियमित परीक्षाओं के साथ एवं Even Semester के कैरी विशयों की परीक्षाएँ आगामी Even Semester की नियमित परीक्षाओं के साथ सम्पन्न कराने की व्यवस्था है।

पृष्ठभूमिः– वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित सेमेस्टर की कैरीओवर परीक्षाएँ उसी

202

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार के आगामी नियमित सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ आयोजित किए जाने का प्रावधान है, जिसके कारण परीक्षार्थियों की शैक्षणिक प्रगति प्रभावित हो सकती है।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः– फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया के अध्यादेश (M.Pharma Course Regulation 2014) के अनुसार व्यवस्था लागू किया जाना है। उक्त प्रस्ताव पर मा0 कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में, विद्या परिषद व कार्य परिषद से अनुमोदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव का आधारः– कैरीओवर परीक्षाओं की शीघ्रता से सम्पन्नता, जिससे परीक्षार्थियों को अगले सत्र में किसी प्रकार की शैक्षणिक बाधा का सामना न करना पड़े।

प्रस्तावः– ODD Semester की नियमित परीक्षाओं के साथ Even Semester के कैरीओवर विषयों की परीक्षाएँ एवं Even Semester की नियमित परीक्षाओं के साथ ODD Semester के कैरीओवर विषयों की परीक्षाएँ कराया जाना प्रस्तावित है, जिसपर विद्या परिषद के माध्यम से मा0 कार्य परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(6.4) **पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु परीक्षक पैनल गठन**

प्रस्तावनाः– पैरामेडिकल विज्ञान संकाय के अंतर्गत संचालित स्नातक (बीपीटी, बी0 ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन आर0आई0टी0, बी0एम0एल0टी0) एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों (एमपीटी न्यूरोलॉजी व एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स, एम0 ऑप्टोमेट्री, एमएमसी एमएलटी (माइक्रोलॉजी), एमएमआरआईटी) हेतु परीक्षकों का पैनल निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

पृष्ठभूमिः– स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रमों हेतु कुछ परीक्षकों की अनिच्छा/स्थानांतरण के कारण परीक्षक पैनल में परिवर्तन कर नवीन पैनल का गठन आवश्यक है।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः– विभागाध्यक्षों से प्राप्त परीक्षकों का पैनल, बोर्ड ऑफ स्टडीज की नौंवी बैठक दिनांक 16.09.2025 (एजेण्डा 9.1) में अनुमोदित किया जा चुका है।

प्रस्ताव का आधारः यह प्रस्ताव बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित है।

प्रस्तावः बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित परीक्षकों के पैनल पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7–(3.3) में लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।

नर्सिंग संकाय

7–(7.1) **Adoption of Revised Curriculum Structure, Assessment Pattern, and Academic Regulations for B.Sc. Nursing prescribed by Indian Nursing Curriculum**

Preface:- The revised B.Sc. Nursing curriculum issued by the Indian Nursing Council (INC) emphasizes the implementation of **Outcome-Based Education (OBE)**, structured academic reforms, and inclusion of elective modules to enhance skill-based learning. In line with these changes, it is essential **to revise course outcomes**, adopt a **standardized examination pattern for electives, and review eligibility criteria for progression to the 7th semester** and final year. These measures aim to ensure academic quality, regulatory compliance, and student preparedness as per national standards.

Background:- The revised B.Sc. Nursing curriculum issued by the Indian Nursing Council (INC) necessitates alignment with Outcome-Based Education (OBE), as mandated by UGC, NAAC, and other accreditation bodies. Existing Course Outcomes (COs) require revision to reflect competency-based learning and national standards. The curriculum introduces three elective modules (each 1 credit = 20 hours; total 3 credits = 60 hours), demanding a structured and transparent examination pattern. Additionally, to uphold academic integrity while allowing flexible progression, it is essential to define clear eligibility criteria for students appearing in the 7th semester and final year examinations, particularly in relation to pending backlogs.

Action / Decision Required:-

1. Approve the revision of Course Outcomes (COs) for the B.Sc. Nursing program in accordance with Outcome-Based Education (OBE) and the latest Indian Nursing Council (INC) guidelines.
2. Elective modules (3 credits = 60 hours) will be integrated into academic planning.

Scanned with OKEN Scanner

	Assessment will include internal (20 marks) and end-semester (30 marks) components, converted to 100 marks for grading; pass mark: 40. 3. Consider and approve the updated eligibility criteria for students to appear in the 7th semester and final year examinations, with provisions for academic progression and backlog clearance. **Basis of Approval:-** The adoption of Outcome-Based Education (OBE), elective modules, and updated eligibility norms is mandated under the revised INC curriculum and supported by national regulatory bodies like UGC and NAAC. As per university academic regulations, the Academic Council is authorized to approve curriculum revisions, prescribe assessment patterns, and define examination eligibility to ensure academic quality and compliance. **Proposal** **1.** Revised COs for B.Sc. Nursing will be presented for review and approval, in alignment with OBE and INC guidelines. **2.** Adopt and approval for elective modules and internal criteria as per revised INC curriculum 3. Students must clear all previous examinations before appearing in the 7th semester and final year, subject to final clearance before graduation. Approval by the Academic Council for the implementation of revised Course Outcomes (COs), standardized examination pattern for elective modules, and updated eligibility criteria for semester progression in the B.Sc. Nursing program, effective from the academic year 2025–26. **Expected Approval on Proposal:** The Academic Council may like to approve the above proposal.
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7–(7.2)	**Approval of Internal and External Examiner for BSc Nursing Programme** **Preface:-** The selection of Internal and external examiners is a mandatory requirement to ensure transparency, fairness, and quality evaluation in the examination process. **Background:-** As per the University regulations and guidelines, Internal and external examiners must be appointed for the evaluation of Theory and practical examination to maintain academic standards. The list of recommended external examiners has been prepared by the Board of Study meeting and approved by the Dean of Faculty. **Action / Decision Required:-** To review and approve the proposed panel of Internal and external examiners for BSc Nursing Programme Course. **Basis of Approval:-** University rules and regulations require the appointment of Internal and external examiners from recognized institutions with relevant subject expertise, as per the University/INC Regulations **Proposal:-** The Academic Council is requested to approve the BOS proposed Panel to proceed with the examination process as per university norms. **Expected Approval on Proposal:** The Academic Council may like to approve the above proposal.
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7–(3.3) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	
फार्मेसी संकाय	
7–(8.1)	**Approval of External examiners for theory, Practical and Project Examination for UG and PG Programs** **Preface:-** In addition to the approved panel of external examiners for End Semester Examination of UG & PG in earlier AC meetings, an additional panel of examiners was approved by the BOS meeting conducted on 2nd September 2025. **Background:-** External examiners are required for the paper setting of theory examination, conduct of practical examination and evaluation of project report of UG and PG programs in End Semester Examination. **Action/Decision Taken:-** The list of Examiners was approved by BOS, Faculty of Pharmacy in a meeting held on 2nd September, 2025. **Basis of Proposal:-** In addition to the approved panel of external examiners for End Semester Examination of UG & PG, an additional panel of examiners was approved by the BOS meeting conducted on 2nd September 2025. **Proposal:-** To approve the Panel of Examiners. **Expected Approval on Proposal:** The Academic Council may like to approve the above proposal.
निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7–(3.3) के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	

Scanned with OKEN Scanner

7–(8.2)	**Corrections (Revisions) in M. Pharm. (Pharmaceutics), M. Pharm. (Pharmaceutical Chemistry), M. Pharm. (Pharmacology), M. Pharm. (Pharmacognosy). Syllabus** **Preface:-** There are some anomalies in the ordinance, scheme and syllabus recommended by PCI, New Delhi for M. Pharm regulations. **Background:-** In the ordinance, scheme and syllabus by PCI, New Delh for M. Pharm regulations 2014, and certain errors have been noticed by the HODs of various departments. This will lead to confusions when the course titles are uploaded on Samarth Portal. Hence, amendments are required to facilitate smooth conduction of End Semester Examinations. Additionally, the distribution of marks for 02 courses namely (Research work*, III Semester and Research work, IV Semester) has not been specified in all PG programs running in Faculty of Pharmacy. **Action/Decision Taken:-** Corrections at all relevant places were affected in the syllabus of M. Pharm. Pharmaceutics, M. Pharm. Pharmaceutical Chemistry, M. Pharm Pharmacology and M. Pharm. Pharmacognosy by the BOS members. Additionally, the distribution of marks for 02 courses namely (Research work*, III Semester and Research work, IV Semester) were defined for all the PG programs running in Faculty of Pharmacy. **Basis of Proposal:-** For the smooth conduction of PG programs running in Faculty of Pharmacy. **Proposal:** To approve the corrections in all PG programs and the distribution of marks for the courses namely Research work*, III Semester and Research work, IV Semester. **Expected Approval on Proposal:** Academic Council may like to approve the above proposal.
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करते हुए कार्य परिषद की बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।	
7–(9.1)	**दन्त विज्ञान संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावना** :– दन्त विज्ञान संकाय में शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से बोर्ड ऑफ स्टडीज का होना आवश्यक है तथा विद्या परिषद से अनुमोदन प्रदान किया जाना अपेक्षित है। **पृष्टभूमि** :– विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शासनादेश के अनुसार प्रत्येक संकाय में बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन अनिवार्य है। पत्रांक संख्या 4441/UPUMS/Admin(58)/2022-23 दिनांक 13.01.2023 में वर्णित नियमों के अनुसार दन्त विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज का गठन दिनांक 12.05.2023 को तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा किया गया था तथा दिनांक 11.11.2023 को दन्त विज्ञान संकाय का गठन किया गया, जिसके पश्चात् तत्कालीन कुलपति महोदय द्वारा इसके पुनर्गठन को अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 20.05.2025 को कुलसचिव महोदय द्वारा दन्त विज्ञान संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज का पुनर्गठन किया गया है। **नियम निर्णय/निष्कर्ष/कृत कार्यवाही**:– बोर्ड ऑफ स्टडीज का पुनर्गठन विश्वविद्यालय के सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदित है तथा इसे कार्य परिषद से अनुमोदन कराये जाने से पूर्व विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव का आधार**:– दन्त विज्ञान संकाय में संकाय स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा पाठ्यक्रम को समय–समय पर संशोधित करने, नए पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने आदि के उद्देश्य से बोर्ड ऑफ स्टडीज का होना आवश्यक है तथा जिस पर विद्या परिषद से अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव** :– दन्त विज्ञान संकाय हेतु पुनर्गठित बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्यों के पैनल पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन** :– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः– उक्त एजेण्ड विद्या परिषद का न होने के कारण विद्या परिषद द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया।	
7–(9.2)	**दन्त विज्ञान संकाय के रिक्त पदों के चयन/पदोन्नति बोर्ड हेतु बाह्य विषय–विशेषज्ञ नामित किये जाने के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावना** :– दन्त विज्ञान संकाय में शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु रिक्त पदों पर नियुक्ति चयन एवं पदोन्नति आवश्यक है। पूर्व में दन्त विज्ञान संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 23.08.2025 के एजेण्डा बिन्दु सं0 02 में बाह्य विषय–विशेषज्ञों

Scanned with OKEN Scanner

	के पैनल को संस्तुति प्रदान की गई थी। **पृष्टभूमि** :– विश्वविद्यालय अधिनियम एवं शासनादेश के अनुसार चयन एवं पदोन्नति प्रक्रिया में बाह्य विषय–विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। अतः उक्त प्रक्रिया को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने हेतु संकाय की अनुशंसा के आधार पर बाह्य विषय–विशेषज्ञों की सूची तैयार की गई है, जो दन्त विज्ञान संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 23.08.2025 से अनुमोदित कराने के पश्चात् विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **नियम निर्णय/निष्कर्ष/कृत कार्यवाही** :– चयन एवं पदोन्नति प्रक्रिया हेतु बाह्य विषय–विशेषज्ञों के पैनल को दिनांक 23.08.2025 की दन्त संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। **प्रस्ताव का आधार** :– विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड ऑफ स्टडीज की सस्तुतियों को विद्या परिषद में अनुमोदन कराये जाने की व्यवस्था निहित है। **प्रस्ताव** :– बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित बाह्य विशेषज्ञों के पैनल पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन** :– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7–(9.3)	**दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलाजी विभाग के परास्नातक पाठ्यक्रम हेतु बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों का पैनल के गठन को स्वीकृति हेतु।** **प्रस्तावना** :– दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी दन्त विज्ञान संकाय के अन्तर्गत मास्टर ऑफ डेन्टल सर्जरी –पेरियोडॉन्टोलॉजी (MDS-Periodontology) पाठ्यक्रम संचालित है। विभाग में शिक्षण एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों का पैनल के गठन की आवश्यकता है। पूर्व में दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 20.08.2025 में उपरोक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई थी। **पृष्टभूमि** :– दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज की समिति के सभी सदस्यों द्वारा डेन्टल काउन्सिल ऑफ इंडिया एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार बिन्दुओं पर चर्चा के पश्चात् सूची तैयार की गई। जो बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित कराने के पश्चात् विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **नियम निर्णय/निष्कर्ष/कृत कार्यवाही** :– उपयुर्क्त प्रस्ताव दिनांक 20.08.2025 की दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । **प्रस्ताव का आधार** :– विश्वविद्यालय अधिनियम 2015–के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड ऑफ स्टडीज की संस्तुतियों को विद्या परिषद में अनुमोदन किए जाने की व्यवस्था निहित है। **प्रस्ताव** :– बोर्ड ऑफ स्टडीज से अनुमोदित बाह्य एवं आंतरिक परीक्षकों के पैनल पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन** :– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहे।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा एजेण्डा बिन्दु 7–(3.3) में लिए गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।	
7–(9.4)	**दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग हेतु दो असिस्टेप्ट प्रोफेसर एवं दो वरिष्ठ रेजिडेंट (एस0आर0) पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु।** **प्रस्तावनाः**– दन्त विज्ञान संकाय के पेरिडॉन्टोलॉजी विभाग में परास्नातक पाठ्यक्रम एम.डी.एस. (एक इकाई – प्रति वर्ष 03 परास्नातक छात्र) संचालित है। वर्तमान में विभाग में कुल 09 परास्नातक छात्र अध्ययनरत हैं। विभाग के सुचारु संचालन तथा समय–समय पर होने वाले डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण एवं विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत दो असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं दो वरिष्ठ रेजिडेंट (Senior Resident – SR) पदों की आवश्यकता है। पूर्व में दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक दिनांक 20.08. 2025 में एस0आर0 के पदों हेतु संस्तुति प्रदान की गई है। **पृष्ठभूमिः**– दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग हेतु दो असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं दो वरिष्ठ रेजिडेंट पदों के सृजन की आवश्यकता है। **नियम/निर्णय/कृत कार्यवाहीः**– दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग की बोर्ड

	ऑफ स्टडीज दिनांक 20.08.2025 द्वारा दो एस0आर0 के पदों हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था। उक्त के अतिरिक्त विभागीय आवश्यकता की पूर्ति हेतु दो असिस्टेन्ट प्रोफसर की आवश्यकता है। **प्रस्तावः–** दन्त विज्ञान संकाय के पेरोयोडॉन्टोलॉजी विभाग हेतु दो असिस्टेन्ट प्रोफेसर एवं दो सीनियर रेजिडेंट के पदों के सृजन/स्वीकृति हेतु विद्या परिषद के अनुमोदनोपरान्त कार्य परिषद एवं तत्पश्चात शासन स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी है। इस प्रस्ताव पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– यह पद मानकीकरण में नहीं हैं। अतः उक्त एजेण्डा को विद्या परिषद द्वारा drop किये जाने का निर्णय लिया गया।	
7–(9.5)	**दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग में DCI के मास्टर ऑफ डेन्टल सर्जरी पाठ्यक्रम 2017 के नियम और विनियम के कार्यान्वयन हेतु ।** **प्रस्तावनाः–** दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग में भारतीय दन्त परिषद (DCI) के मास्टर ऑफ डेन्टल सर्जरी पाठ्यक्रम 2017 के नियम और विनियम के कार्यान्वयन की आवश्यकता है। पूर्व में दिनांक 20.08.2025 को दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर संस्तुति प्रदान की गई थी। **पृष्ठभूमिः–** भारतीय दन्त परिषद के मास्टर ऑफ डेन्टल सर्जरी पाठ्यक्रम 2017 के नियम और विनियम के कार्यान्वयन के प्रस्ताव पर दिनांक 20.08.2025 को दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा पर स्वीकृति प्रदान की गई। जिसके पश्चात् उपरोक्त एजेंडा विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुत है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** उपर्युक्त प्रस्ताव दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग की बोर्ड ऑफ स्टडीज दिनांक 20.08.2025 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है, जो विद्या परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है। **प्रस्ताव का आधारः–** विश्वविद्यालय अधिनियम–2015 के अन्तर्गत स्थापित बोर्ड ऑफ स्टडीज की संस्तुतियों को विद्या परिषद में अनुमोदन किए जाने की व्यवस्था निहित है। **प्रस्तावः–** दन्त विज्ञान संकाय के पेरियोडॉन्टोलॉजी विभाग में (DCI) के मास्टर ऑफ डेन्टल सर्जरी पाठ्यक्रम 2017 के नियम और विनियम के कार्यान्वयन हेतु विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त की गयी।	
	अन्य बिन्दु
7–(10.1)	**विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के चयन से संबंधित प्रारूपों पर अनुमोदन के संबंध में।** **प्रस्तावनाः–** विश्वविद्यालय में समय–समय पर संकाय सदस्यों के चयन हेतु कार्यवाही की जाती है जिसके लिये कुछ आवश्यक प्रारूपों की आवश्यकता होती है। एम्स में संकाय सदस्यों की चयन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न प्रारूप उपलब्ध हैं जैसे Attendance Sheet for Candidate, Attendance Sheet for Document Verification, Check List, Declaration of Conflict of Insterest I विश्वविद्यालय में भी संकाय सदस्यों के चयन के समय एम्स की भांति इन प्रारूपों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है जिससे चयन प्रक्रिया में एकरूपता एवं पारदर्शिता बनी रहे। **प्रस्तावः–** विश्वविद्यालय में समय–समय पर संकाय सदस्यों की चयन प्रक्रिया में एम्स में प्रचलित विभिन्न प्रारूपों को सम्मिलित किया जाने के लिए प्रारूपों पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– उक्त प्रस्ताव एवं प्रारूपों को विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7–(10.2)	**विश्वविद्यालय के ब्रॉड स्पेशिएलिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की पुनरीक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः–** विश्वविद्यालय के ब्रॉड स्पेशिएलिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की पुनरीक्षित शैक्षणिक

Scanned with OKEN Scanner

योग्यता एवं अर्हता को आगामी विद्या परिषद की बैठक में रखे जाने का प्रस्ताव है।

पृष्ठभूमि:– विश्वविद्यालय के ब्रॉड स्पेशिएलिटी में चिकित्सा संकाय के एसोसिएट प्रोफेसर के पद हेतु जो शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता निर्धारित है, को निम्नवत् पुनरीक्षित किया जाना है:–

Post	Essential Qualification	Additional teaching and research experience UPUMS, Saifai (Existing)	Additional teaching and research experience (Proposed UPUMS)
2	3	4	5
Associate Professor	M.S/M.D/ D.N.B	1-Four years teaching experience in the subject in a recognized/approved/ permitted Medical College/teaching institution as Assistant Professor with total six years teaching experience (post MD/MS/DNB) in the subject. 2- Publications as per latest N.M.C norms. 3- BCBR and rBCW/ BCMET certificates.	1. A total of 06 years of teaching experience out of which at least 03 years should be as Assistant Professor in the subject iun a recognized medical college/teaching institution. 2. Have published at least two research publications in NMC approved journals after becoming Assistant Professor and must be among first three authors. 3. BCBR certificate. 4. BCMET/rBCW certificate.

प्रस्ताव:– विश्वविद्यालय के ब्रॉड स्पेशिएलिटी में एसोसिएट प्रोफेसर की पुनरीक्षित शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता हेतु विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन: उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णय:– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(10.3) **विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किये जाने एवं सम्मानित महानुभावों को "मानद उपाधि" प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावना:– विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों जैसे– चिकित्सा, दन्त, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी संकायों में यू0जी0/पी0जी0/सुपरस्पेशियालिटी पाठ्यक्रम संचालित है। इन पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाएं इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी जाती हैं तथा डिग्री निर्गत की जाती हैं। परन्तु दीक्षांत समारोह का आयोजन अबतक नहीं हुआ है, जिसे कराया जाने के साथ–साथ सम्मानित महानुभावों को "मानद उपाधि" दिये जाना प्रस्तावित है।

पृष्ठभूमि:– विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों जैसे– चिकित्सा, दन्त, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी संकायों में यू0जी0/पी0जी0/सुपरस्पेशियालिटी पाठ्यक्रम संचालित है। इन पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाएं इस विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी जाती हैं तथा डिग्री निर्गत की जाती हैं। परन्तु दीक्षांत समारोह का आयोजन अबतक नहीं हुआ है, जिसे कराया जाने के साथ–साथ सम्मानित महानुभावों को "मानद उपाधि" दी जानी है।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णय:– विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 17.05.2016 के अध्याय–तीन के धारा–10 के उपधारा–5 में व्यवस्था है कि "कुलाधिपति, यदि उपस्थित होंगे, डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।"

प्रस्ताव का आधार:– विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को डिग्री प्रदान किये जाने एवं सम्मानित महानुभावों को "मानद उपाधि" प्रदान किये जाने हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों जैसे– चिकित्सा, दन्त, पैरामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी संकायों में संचालित यू0जी0/पी0जी0/सुपरस्पेशियालिटी पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को डिग्री प्रदान करने हेतु एवं सम्मानित महानुभावों को "मानद उपाधि" प्रदान किये जाने के लिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किये जाने के प्रस्ताव पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदन: उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णय:– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(10.4) **विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किये जाने एवं एक ओरेशन (Oration) अवार्ड शुरू किये जाने सम्बन्ध में।**

प्रस्तावना:– विश्वविद्यालय की स्थापना 15 दिसम्बर, 2005 को संस्थान के रूप में हुई थी। विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 17.05.2016 द्वारा संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया गया। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय की स्थापना

Scanned with OKEN Scanner

दिवस समारोह प्रतिवर्ष 15 दिसम्बर को आयोजित किये जाने के साथ ही विश्वविद्यालय की स्थापना में अभूतपूर्व योगदान देने वाले व्यक्तियों के योगदान को याद करने के उद्देश्य से स्थापना दिवस के समारोह के अवसर पर एक ओरेशन (Oration) शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रस्ताव का आधारः– विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस समारोह प्रतिवर्ष 15 दिसम्बर को आयोजित किये जाने के साथ–साथ विश्वविद्यालय की स्थापना में अभूतपूर्व योगदान देने वाले व्यक्तियों के योगदान को याद करने के उद्देश्य से One Oration शुरू किये जाने प्रस्ताव है।

प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय की स्थापना 15 दिसम्बर, 2005 को संस्थान के रूप में हुई थी। विधायी अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ की अधिसूचना दिनांक 17.05.2016 द्वारा संस्थान को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। उक्त के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की स्थापना दिवस समारोह प्रतिवर्ष 15 दिसम्बर को आयोजित किये जाने के साथ–साथ विश्वविद्यालय की स्थापना में अभूतपूर्व योगदान देने वाले व्यक्तियों के योगदान को याद करने के उद्देश्य से One Oration शुरू के प्रस्ताव पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः– उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(10.5) **विश्वविद्यालय में छात्र/छात्राओं की शार्ट अटेण्डेंस के सम्बन्ध में नीति निर्धारण**

प्रस्तावनाः– विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की शॉर्ट अटेंडेंस से शैक्षिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः आवश्यक है कि इस विषय में स्पष्ट, एकरूप एवं प्रभावी नीति निर्धारित की जाए।

पृष्ठभूमिः– विभिन्न संकायों एवं विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं की शॉर्ट अटेंडेंस से सम्बन्धित एक मानक नीति विश्वविद्यालय स्तर पर तैयार की जाए, जिससे पारदर्शिता एवं अनुशासन सुनिश्चित हो सके।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः– शॉर्ट अटेंडेंस के कारण छात्र/छात्राओं के परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विशेष अनुमति हेतु प्रक्रिया स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

प्रस्ताव का आधारः– शैक्षणिक अनुशासन, गुणवत्ता संवर्द्धन एवं पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था।

प्रस्ताव :– विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं की उपस्थिति के सम्बन्ध में सम्बन्धित काउन्सिल के नियम लागू होंगे। शॉर्ट अटेंडेंस के सम्बन्ध में निम्नवत् व्यवस्था लागू किए जाने का प्रस्ताव है–

1. Remedial Classes/Assignment कराते हुए उसके आधार पर कुल उपस्थिति की गणना किया जाना प्रस्तावित है।
2. यदि छात्र/छात्राएं संकायाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से वर्कशॉप/कान्फ्रेंन्स/इंटर कॉलेज फेस्टिवल व इंस्टीट्यूशनल फेस्टीवल में सम्मिलित होते हैं तो उस आधार पर भी उपस्थिति में छूट प्रदान की जा सकती है।
3. चिकित्सकीय कारणों या अन्य यथोचित कारणों की स्थिति में, कुल उपस्थिति में अधिकतम 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है। यह छूट केवल माननीय कुलपति महोदय के स्तर से ही अनुमोदित की जाएगी।

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा चिकित्सीय अवकाश की अवधि को घटाते हुए मात्र एक विषय में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(10.6) **Inclusion of Indian Knowledge Systems (IKS) in Course Curriculum Across University Faculties.**

Preface:- NEP-2020 emphasizes integration of IKS into higher education to foster holistic, value-based learning.

Background:- Each faculty should incorporate IKS to promote cultural relevance, ethical grounding, and interdisciplinary understanding in health and education.

Action:- Approve an elective course on *"Indian Knowledge Systems in Health & Well-being"* across all faculties (Medicine, Dentistry, Nursing, Pharmacy, Paramedical). Each faculty may adopt one model:

(i) **AYUSH-based experiential learning** - Guest sessions or clinical exposure with AYUSH experts

Scanned with OKEN Scanner

or

(ii) **Yoga practice sessions** - Weekly guided yoga for health and well-being

or

(iii) **Sanskrit shloka practices** - Daily recitation of health-related shlokas to promote values and cultural awareness.

Basis of Proposal:- The National Education Policy (NEP) 2020 mandates the integration of Indian Knowledge Systems (IKS) across all levels of higher education to foster holistic, multidisciplinary, and culturally rooted learning. It specifically encourages universities to embed IKS within the curriculum of each faculty—including Medicine, Dentistry, Nursing, Pharmacy, and Paramedical Sciences—to promote indigenous health wisdom, ethical values, and contextual relevance.

Proposal:- Introduce IKS modules tailored to each faculty, either as credit-based electives or experiential components, promoting indigenous knowledge, wellness practices, and ethical values in health education.

Approval by Academic Council for phased implementation of the IKS curriculum across all faculties, beginning with elective courses and experiential learning components.

Expected Approval on Proposal:- Academic Council may like to approve the above proposal.

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7—(10.7) **विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों एवं परीक्षा विभाग हेतु एसोसिएट डीन/सब डीन नामित किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावनाः— विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय, पैरामेडिकल संकाय, फार्मेसी संकाय, नर्सिंग संकाय एवं दन्त संकाय के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन संकायों के कार्यों हेतु विश्वविद्यालय के अधिनियम के अनुसार वरिष्ठतम संकाय सदस्य को चक्रानुक्रम में संकायाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाता है तथा विश्वविद्यालय में एक परीक्षा नियंत्रक का पद भी सृजित है। संकायों में छात्र/छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया, टीचिंग कार्य, आन्तरिक परीक्षाएं एवं शैक्षणिक कैलेंडर के अतिरिक्त अन्य विभिन्न प्रकार के कार्य सम्पन्न होते हैं तथा सभी संकायों के पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाएं परीक्षा विभाग के स्तर से सम्पन्न होती हैं। उक्त कार्यों को सुचारू एवं समय से सम्पादित कराने हेतु प्रत्येक संकाय हेतु एक—एक एसोसिएट डीन/सब डीन नामित किये जाने की आवश्यकता है।

पृष्ठभूमिः— विश्वविद्यालय के संकायों में यू0जी0/पी0जी0 एवं सुपरस्पेशियालिटी पाठ्यक्रम संचालित हैं। उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित होने वाले छात्र/छात्राओं की टीचिंग एवं परीक्षाओं को सुचारू रखने की आवश्यकता है।

नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः— कार्यों को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से करने के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता के दृष्टिगत एसोसिएट डीन/सब डीन नामित किये जाने हैं।

प्रस्ताव का आधारः— शैक्षणिक गुणवत्ता, परीक्षा की समयबद्धता, छात्रहित एवं विश्वविद्यालय हित।

प्रस्ताव :— विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष को छोड़कर) में से ऐसे उपयुक्त संकाय सदस्य, जो कार्यों को सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के इच्छुक हो के नाम प्राप्त होने के पश्चात उनमें से वरिष्ठतम प्रोफेसर (विभागाध्यक्ष को छोड़कर) को अधिकतम तीन वर्ष के लिए नामित किया जायेगा। आवश्यक एसोसिएट डीन/सब डीन का विवरण निम्नवत है—

- चिकित्सा संकाय हेतु — 01 एसोसिएट/सब डीन
- पैरामेडिकल संकाय हेतु — 01 एसोसिएट/सब डीन
- नर्सिंग संकाय हेतु — 01 एसोसिएट/सब डीन
- फार्मेसी संकाय हेतु — 01 एसोसिएट/सब डीन
- दन्त संकाय हेतु — 01 एसोसिएट/सब डीन
- परीक्षा विभाग हेतु — 01 एसोसिएट/सब डीन

प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः— विद्या परिषद द्वारा एसोसिएट डीन पदनाम का अनुमोदन दिया गया।

7—(10.8) **विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में संचालित पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिन्दी एवं Remedial Mathematics(RMT106T) विषयों के अध्यापन की आवश्यकता के दृष्टिगत यह कार्य अतिथि शिक्षकों से कराए जाने के सम्बन्ध में।**

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह
कुलपति

Scanned with OKEN Scanner

	प्रस्तावनाः– विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के क्यूरीकुल के अनुसार प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिन्दी एवं Remedial Mathematics(RMT106T) विषयों का अध्यापन कराना है। **पृष्ठभूमिः–** कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिन्दी एवं Remedial Mathematics(RMT106T) विषयों के प्रभावी अध्यापन हेतु। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः–** स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिन्दी एवं Remedial Mathematics(RMT106T) विषयों का अध्ययन क्यूरीकुलम के अनुसार कराया जाना है। **प्रस्ताव का आधारः–** स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में कम्प्यूटर, अंग्रेजी, हिन्दी एवं Remedial Mathematics(RMT106T) विषय पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। छात्र/छात्राओं को उनके पाठ्यक्रम के साथ–साथ इन विषयों का अध्यापन कराया जाना सम्बन्धित संकायों की काउंसिल के नियमानुसार होना है। **प्रस्तावः–** उक्त विषयों के अध्यापन कार्य हेतु अतिथि शिक्षकों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय के आधार पर एम्पैनलमेंट किया जाना प्रस्तावित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः–** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
	टेबल एजेण्डा
7–(11.1)	**पैरामेडिकल संकाय में संचालित स्नातक प्रोग्राम्स की इंटर्नशिप नीति के संशोधन के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः** पैरामेडिकल स्नातक कार्यक्रमों (बी.ऑप्टोमेट्री, बी.आर.आई.टी., बी.एम.एल.टी. एवं बी.पी.टी) की इंटर्नशिप के संबंध में, इंटर्नशिप नीति का संशोधन प्रस्तावित है। **पृष्ठभूमिः** इंटर्नशिप कार्यक्रमों के प्रभावी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित संचालन के उद्देश्य से एक मानक संचालन प्रक्रिया (एस0ओ0पी0) की आवश्यकता है। **नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः** पैरामेडिकल संकाय की इंटर्नशिप नीति का पुनरीक्षण कर नवीन ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसे पैरामेडिकल विज्ञान संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज की नौंवी बैठक दिनांक 16.09.2025 (एजेण्डा बिन्दु 9.4) में अनुमोदन प्राप्त है। **प्रस्ताव का आधारः** यह प्रस्ताव बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा अनुमोदित है। **प्रस्तावः** पैरामेडिकल संकाय के पाठ्यकमों की इंटर्नशिप हेतु पैरामेडिकल विज्ञान संकाय की बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा तैयार किये गये नवीन ड्राफ्ट पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	
7–(11.2)	**विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के विभिन्न विभागों में नॉन–बाण्डेड सीनियर रेजिडेन्ट के पदों पर सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड–फोलोशिप (Linked Fellowship) प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।** **प्रस्तावनाः** अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के विभिन्न विभागों में नॉन–बाण्डेड सीनियर रेजिडेन्ट के पदों को भरे जाने हेतु पद रिक्त हैं। विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर एन0एम0सी0 मानक के अनुसार चिकित्सालय के सुचारू संचालन के दृष्टिगत नान–बाण्डेड सीनियर रेजिडेन्ट की नियुक्ति की जाती है। विश्वविद्यालय में कई विभागों में सीनियर रेजिडेन्ट के पदों को बराबर भरे जाने का प्रयास किया जाता है, किन्तु नॉन–बाण्डेड सीनियर रेजिडेन्ट एन0एम0सी0 मानक के अनुसार निर्धारित संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इन पदों को भरे जाने हेतु यदि सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड–फेलोशिप के माध्यम से पदों को भरे जाने का प्रयास किया जाये, तो यह सम्भावना है कि उक्त पदों को सुगमता से भरा जा सकता है, जिससे कि एम0सी0आई0 मानक की पूर्ति भी हो जायेगी और चिकित्सालय के सुचारू संचालन में सुविधा होगी। सीनियर रेजिडेन्ट के पद पर कार्य करने वाले अभ्यर्थी को लिंक्ड–फेलोशिप का अनुभव भी प्रदान किया जा सकेगा। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय के चिकित्सा संकाय के विभन्न विभागों में नॉन–बाण्डेड सीनियर रेजिडेन्ट

प्रो0 (डॉ0) अजय सिंह

Scanned with OKEN Scanner

के रिक्त पदों को सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड–फोलोशिप (Linked Fellowship) के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में विद्या परिषद से अनुमोदन अपेक्षित है।
प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा उक्त को अनुमोदन प्रदान करते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये गये कि–

- सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड–फोलोशिप अधिकतम छः माह की होगी।
- सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड–फोलोशिप हेतु सर्टिफिकेट निर्गत किया जायेगा।
- उक्त की सूचना वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी।
- चयनित सीनियर रेजिडेन्ट को सीनियर रेजिडेन्ट के दौरान ही सीनियर रेजिडेन्ट लिंक्ड–फोलोशिप की जायेगी।
- उक्त से सम्बन्धित विवरण/गाईडलाईन्स विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किया जायेगा तथा सब–कमेटी, डीन कमेटी के माध्यम से विद्या परिषद एवं कार्य परिषद से अनुमोदित कराया जायेगा।

7–(11.3) **विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष समिति (Dean Committee) गठित किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा अधिनियम– 2015 की धारा 25(1) में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालय में पॉच संकाय होंगे, जिसमें चिकित्सा संकाय, दन्त संकाय, पैरामेडिकल विज्ञान संकाय, नर्सिंग संकाय एवं फार्मेसी संकाय होंगे। संकाय के दैनिक शैक्षणिक एवं शोध क्रिया–कलापों के कियान्वयन के दृष्टिगत प्रत्येक संकाय में एक संकायाध्यक्ष समिति (डीन कमेटी) गठित की आवश्यकता के दृष्टिगत कार्यालय आदेश संख्या कु0का0/2025/सी0डी0/कार्यालय आदेश/2025–26/2860 दिनांक 22.09.2025 संकायाध्यक्ष समिति का गठन किया गया है।
प्रस्तावः विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय हेतु कार्यालय आदेश संख्या कु0का0/2025/सी0डी0/कार्या0 आदे0/2025–26/2860 दिनांक 22.09.2025 द्वारा गठित संकायाध्यक्ष समिति पर विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक डीन कमेटी में अन्य किसी भी संकाय के संकायाध्यक्ष आमंत्रित सदस्य होंगे तथा किसी बाह्य सदस्य को कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त शामिल किया जा सकेगा।

7–(11.4) **विश्वविद्यालय में ट्यूमर बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावनाः अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा अधिनियम– 2015 का गठन शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 17.05.2016 द्वारा गिया गया है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में 1050 बेड का चिकित्सालय तथा 150 बेड का ट्रामा एवं बर्न सेन्टर संचालित है। उक्त के साथ ही 500 बेड सुपरस्पेशियालिटी हास्पिटल में ओ0पी0डी0 प्रारम्भ की जा चुकी है। शीघ्र ही आई0पी0डी0 प्रारम्भ किया जाना है। 300 बेड आब्स एण्ड गायनी एवं पीडियाट्रिक्स चिकित्सालय निर्माणाधीन है। विश्वविद्यालय में ट्यूमर के मरीजों के त्वरित एवं बेहतर उपचार हेतु शोध किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत ट्यूमर बोर्ड गठित किया जाना है।
प्रस्तावः मरीजों के हित में ट्यूमर बोर्ड के गठन हेतु विद्या परिषद का अनुमोदन अपेक्षित है।
प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

7–(11.5) **विश्वविद्यालय में प्रवेशित होने वाले समस्त छात्र/छात्राओं को प्रवेश प्रकिया के दौरान Dos & Don'ts से अवगत कराने हेतु विवरण तैयार किये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रस्तावनाः विश्वविद्यालय में चिकित्सा संकाय, पैरामेडिकल संकाय, फार्मेसी संकाय, नर्सिंग संकाय एवं दन्त संकाय के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यकमों में प्रवेशित होने वाले छात्र/छात्राओं को Dos & Don'ts का विवरण प्रवेश प्रकिया के दौरान उपलब्ध कराये जाने हेतु Dos & Don'ts का विवरण तैयार किया जाना है।
पृष्ठभूमिः छात्र/छात्राएं एवं उनके अभिभावकों इस विषय में जानकारी दिया जाना आवश्यक है ताकि छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय में क्या करना है तथा क्या नहीं करना है।

(प्रो0) ... सिंह

Scanned with OKEN Scanner

	नियम/कृत कार्यवाही/निष्कर्ष/निर्णयः छात्र/छात्राओं हेतु Dos & Don'ts का विवरण तैयार करने हेतु समस्त संकायों के संकायाध्यक्ष, प्रतिकुलपति की अध्यक्षता में उक्त विवरण तैयार करेंगे तथा मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदित कराते हुए, प्रवेशित होने वाले समस्त पाठ्यक्रमों के छात्र/छात्राओं की प्रवेश प्रक्रिया के दौरान छात्र/छात्राओं को हस्तगत कराया जायेगा। **प्रस्तावः** विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित होने वाले छात्र/छात्राओं हेतु Dos & Don'ts का विवरण तैयार करने हेतु प्रति–कुलपति की अध्यक्षता में समस्त संकायों के संकायाध्यक्षों की समिति का गठन कुलसचिव के स्तर से किया जायेगा तथा समिति द्वारा उक्त विवरण तैयार कर मा0 कुलपति महोदय से अनुमोदित कराते हुए, प्रवेशित होने वाले छात्र/छात्राओं पर लागू किया जायेगा। **प्रस्ताव पर अपेक्षित अनुमोदनः** उक्त प्रस्ताव पर विद्या परिषद अनुमोदन प्रदान करना चाहें।
निर्णयः– विद्या परिषद द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।	

बैठक विद्या परिषद के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए सम्पन्न हुई।

03.10.2025

(डॉ0 आदेश कुमार)
संकायाध्यक्ष चिकित्सा संकाय
एवं संयोजक विद्या परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

(डॉ0 अजय सिंह)
कुलपति
एवं अध्यक्ष–विद्या परिषद,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025

Sl.No.	Name	Designation	Department	Mobile No & Email ID	Signature
1.-	Prof (Dr) Priti Pandey	Professor & Head	Pathology	9458547252	[signature]
2.-	Prof. Dr Kamla Pathak	Professor & Dean	Faculty of Pharmacy	9897612318	[signature]
3.-	Prof. Dr Puspendra Singh	Prof-& HOD	Forensic Medicine	6397659933	[signature]
4.-	Prof. Dr. ADIL RAHMAN	Prof. & Head	Biochemistry	9410641429	[signature]
5.-	Dr Gyanesh Kumar	Prof. SR Grade	Medicine	8191038215	[signature]
6.-	Dr Manoj Kumar	Prof & HOD	Medicine	9457879784	[signature]
7.-	Dr. Gauri Shankar Potrui	Assoc. Prof. & HOD	Physiotherapy (FPS)	9603803011.	[signature]
8.-	Dr JP Mathur	Dean, FPS	Paramedical	8057483068	[signature]
9.-	Dr Savita Agarwal	[illegible]	Pathology	8449508719	[signature]
10.-	Dr. [illegible]	Professor	Community Medicine	9452080040	[signature]

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025

Sl. No.	Name	Designation	Department	Mobile No & Email ID	Signature
11	Dr Chandra Veer Singh	Professor	Pharmacology	9927791470 cvsingh.singh@gmail.com	[signature]
12	Dr. Amit Kant Singh	Prof. + HOD	Physiology	9412290631 [illegible]	[signature]
13	Dr Alok Dixit	Prof & Head	Pharmacology	9639523852 hpharmacology upums@gmail.com	[signature]
14	Dr. Usha Shukla	Prof & Head	Anaesthesiology	9412201925 ushashukla1970@gmail.com	[signature]
15	Dr. Ravi Ranjan	Prof & HOD	Ophthalmology.	8191050550 dr.raviranjan64@gmail.com	[signature]
16	Dr. Dinesh Kumar	Prof & Head	Pediatrics	8475905763 drdineshk79@gmail.com	[signature]
17	Dr. Vinay Kanaujia	Asso Prof	PMR	8800121450 vinay.kanaujia[illegible]@gmail.com	[signature]
18	Vinod Patel	Librarian	Central Library	9917191922	[signature]
19	Dr Rafey A Rahman	Associate Prof	Pediatric Surgery	9990263423 rafey123@gmail.com	[signature]
20	Dr. Vaibhav Mittal	Professor (JG)	Radiation Oncology	8279336269. [illegible]	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

(4)

विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025

Sl. No.	Name	Designation	Department	Mobile No & Email ID	Signature
21	Dr. Rajesh Kumar Verma	Prof & Head	Microbiology	8477973557 drshverma@gmail.com	[signature]
22	Dr. Amit Singh	Prof	Microbiology	9458641459 dramitsingh.upstone@gmail.com	[signature]
23	Dr. Sushil Kumar Shukla	Prof & Nodal officer M-R-U.	Community Medicine	7983161093, drsushil7451@gmail.com	[signature]
24	Dr. Vidya Rani	Prof. Community Medicine	Community Medicine	9690166629, vidyarani@gmail.com	[signature]
25	Dr. Sugandhi Sharma	Asstt. Prof Community Medicine	(Incharge; Central Library)	9897740325 doctor.sugandhisharma@gmail.com	[signature]
26	Dr Anamika Singh	Prof. (Jr-Grade)	Physiology Member of Academic council	9458640897 anugsvm@gmail.com	[signature]
27	Dr Naresh Pal Singh	Professor	Community Medicine	9458641119, nareshpalsingh@gmail.com	[signature]
28	Dr Vaibhav Kanti	Professor	Obs & Gynae	9456412357 vaibkanti13@gmail.com	[signature]
29	Dr. Alpana	Professor & HOD	Obs & Gyn	7830576291 — Alpana	[signature]
30	Dr Subhash Chandra	[illegible]	Cardiology	8989027895 dr.subhashchandra.com	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025

Sl. No.	Name	Designation	Department	Mobile No & Email ID	Signature
31	Dr Ankit Sinha	Assistant Professor	Urology	8318240146 ankicool007@gmail.com	[signature]
32	Dr. Aaditya Shivhare	ASSISTANT PROFESSOR	TRANSFUSION MEDICINE	9535974538 AADITYASHIVHARE@gmail.com	[signature]
33	Dr. P. K. Jain	Prof.	C.M.	975622476	[signature]
34	Dr. S. P. Singh	Professor	Surgery	9457879726	[signature]
35	Prof. Biji Biju	Dean FON	Nursing	8057417116	[signature]
36	Prof. Atul Kr. Singh	Dean, FODS (Dent)	Dentistry	9452074574	[signature]
37	Prof (Dr) Sunil Kumar	Prof & Head	Ortho.	9870891710	[signature]
38	Prof Dr. Jitendra Pratap Singh Chauhan	Prof & Head	ENT	9997634222	[signature]
39	Dr. A. K. Mishra.	Prof. & Head.	Psychiatry	9412304656	[signature]
40	Dr. Anil Kumar	Professor	Surgery	9458409337	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025

Sl. No.	Name	Designation	Department	Mobile No. & Email ID	Signature
41	Dr. Bipin Kumar Yadav	Professor (Jr Grade)	Periodontology, FODS.	8449619482	[signature]
42	Dr. Rajesh Kr Thakur	Professor & Head	Periodontology, FODS	9997060666	[signature]
43	Vijay Kumar Verma	Professor Int Medicine	Medicine	9410436838 vermavk[illegible]@gmail.com	[signature]
44	Dr Asha Pathak	Professor	Pharmacology	9451021779	[signature]
45	Mr Sembian. N	Asso Prof	Faculty of Nursing	7088000[illegible] sembiannep@gmail.com	[signature]
46	Dr. Atul Saxena	Assist Professor	Dept. of Plastic Surgery	8279756375 atulsaxena007@gmail.com	[signature]
47	Dr. Varun Sisodia	Assit. Professor	Dept. of CVTS	9870777248 [illegible]@gmail.com	[signature]
48	Dr. Ragni kumari	Assistant Prof (FO)	Optometry (FPS)	8800285245 ragnimishra@gmail.com	
49	Ms. Mamta Verma	Assistant Professor (FO)	R.I.T. (FPS)	8604122725 [illegible]@gmail.com	
50	N. Rajani Singh	Prof.	Anatomy	8755010919	[signature]
51	Dr. JYOTI KALA BHARATI	ASSISTANT PROFESSOR	TRANSFUSION MEDICINE (BLOOD BANK)	8890433192 jyotikalabharati@gmail.com	[signature]

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

विद्या परिषद की सातवीं बैठक दिनांक 25.09.2025

Sl. No.	Name	Designation	Department	Mobile No. & Email ID	Signature
51	Dr. JYOTI KALA BHARATI	ASSISTANT PROFESSOR	TRANSFUSION MEDICINE (BLOOD BANK)	8890437192 jyotikalabharati@gmail.com	[signature]
52	Dr Ramkant Yadav	Pro. VC	Neurology		[signature]
53	Prof. Ajay. Singh. sir	Hon'ble VC Sir	Vice chancellor office Camp.	7898859355	[signature]
54	Dr Arvind Kumar	Dean (Faculty of Medicine)	Dean office	9045473801	[signature]
55					
56					
57					
58					
59					
60					

Scanned with OKEN Scanner